



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2025-02863

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष,  
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य,

श्री के. आर. दयाल, पिता—श्री राम प्रसाद,  
पता—एम.आई.जी.—77, चन्देला नगर,  
रिंग रोड नं.—02, भाटिया पेट्रोल पंप के पीछे,  
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- (1) संपदा अधिकारी,
- (2) कार्यपालन अभियंता,  
पता—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
सेक्टर—27, नवा रायपुर,  
अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

..... अनावेदकगण

उपस्थिति :-

- (1) श्री सर्वेश खटनानी, अधिवक्ता वास्ते आवेदक।
- (2) श्री अभिषेक झा, अधिवक्ता वास्ते अनावेदकगण।

(प्रोजेक्ट—“प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना”, नवा रायपुर, जिला—रायपुर)  
रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA070718000487

आदेश

(दिनांक—19/09/2025)

आवेदक श्री के. आर. दयाल, पिता—श्री राम प्रसाद, पता—एम.आई.जी.—77, चन्देला नगर, रिंग रोड नं.—02, भाटिया पेट्रोल पंप के पीछे, जिला—बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—31 एतद् पश्चात् अधिनियम एवं छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका—35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा दिनांक 16.02.2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना, नवा रायपुर में एल.आई.जी. प्लैट सेक्टर—16 में बी.एल—37/207 को रुपये 6,50,000/— में श्रीमती पुष्पलता दयाल के नाम से बुक किया गया। प्लैट की कीमत रुपये 6,50,000/— था, परन्तु रुपये 8,50,000/— का भुगतान करना था, जिसमें दो लाख की सब्सिडी के रूप में

वापस करना था। आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बिलासपुर से रूपये 8,34,000/- का ऋण लेकर मांग अनुसार किशतों में संपदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया है :-

स. क्रं.	दिनांक	भुगतान विवरण	चेक क्रं.	राशि
01	16.02.2016	नगद	-	300/-
02	16.02.2016	चेक के माध्यम से	डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक-011445	30,000/-
03	17.10.2016	मकान ऋण, सुरक्षा बीमा राशि	-	44,000/-
04	18.10.2016	नगद	-	500/-
05	19.10.2016	चेक के माध्यम से	688968	1,70,000/-
06	17.12.2016	चेक के माध्यम से	604422	1,70,000/-
07	27.03.2017	चेक के माध्यम से	604791	1,20,000/-
08	28.07.2017	चेक के माध्यम से	60316	1,20,000/-
09	12.12.2016	चेक के माध्यम से	60554	1,20,000/-
10	30.01.2018	चेक के माध्यम से	605715	1,20,000/-
			<b>कुल योग</b>	<b>8,88,845/-</b>

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा अनावेदकगण को वर्ष 2016 से 2017 के मध्य रूपये 8,50,000/- का भुगतान किया गया है तथा आवेदक द्वारा दिनांक 21.11.2023 को ऋण का भुगतान कर दिया गया, उस स्थिति में बैंक को ब्याज रूपये 2,84,322/- का भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान करने के पश्चात् अनावेदकगण द्वारा आज दिनांक तक सब्सिडी की राशि नहीं दिया गया है, न ही ब्याज दिया गया है। अनावेदकगण द्वारा आज दिनांक तक मकान का आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अनेकों बार सब्सिडी राशि एवं ब्याज का भुगतान करने हेतु अनावेदकगण को लिखित एवं मौखिक निवेदन किया गया। परन्तु अनावेदकगण द्वारा 10 वर्ष पश्चात् मूलधन की राशि में से सब्सिडी एवं ब्याज राशि को छोड़कर रूपये 8,47,100/- दिनांक 22.04.2025 को वापस किया गया है, जो हितग्राहियों के प्रति घोर अन्याय है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष चाहा गया है। बैंक ऋण की मय ब्याज की राशि लगभग 03 लाख एवं 02 लाख रूपये सब्सिडी राशि आज दिनांक तक 10 वर्ष का मय ब्याज 8.15 प्रतिशत की दर से जोड़कर वापस किया जाये।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।

3. अनावेदकगण द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की कांडिका-3 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा अनुतोष चाहा गया है, वह सिविल नेचर का है और उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को नहीं है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्टया प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदिका द्वारा किये गये कथन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अनावेदकगण केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन के महात्वाकांक्षी योजना "सबके लिये आवास" के तहत शहरी गरीबों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु नवा रायपुर, अटल नगर स्थित सेक्टर-16, 30 एवं 34 में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत 2312 नग ई.डब्ल्यू.एस. एवं 3984 नग एल.आई.जी. प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य फरवरी, 2016 में प्रारंभ किया गया। निर्माण प्रारंभ होने के पश्चात् जून, 2025 के स्थिति में 3984 नग एल.आई.जी. के विरुद्ध 1107 एवं 2312 नग ई.डब्ल्यू.एस. के विरुद्ध 1886 नग भवनों का आबंटित किया गया है। आवेदिका द्वारा भवन पंजीयन हेतु दिनांक 26.02.2016 को आवेदन शुल्क राशि 300/- जमा कर आवेदन मय भवन आबंटन संबंधी नियम/शर्तों सह हस्ताक्षर कर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 16.09.2016 को भवन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र मय पंजीयन शुल्क रूपये 30,000/- प्राप्त कर कार्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2016 के द्वारा ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से सेक्टर-16 में एल.आई.जी. प्रकोष्ठ भवन द्वितीय तल पर भवन क्रमांक-37/207, आबंटित किया गया है। अनावेदकगण द्वारा पंजीयन राशि रूपये 30,000/-, प्रथम किश्त दिनांक 21.10.2016 का राशि रूपये 1,70,000/-, द्वितीय किश्त दिनांक 26.12.2016 को रूपये 1,70,000/-, तृतीय किश्त दिनांक 29.03.2017 को रूपये 1,20,000/-, चतुर्थ किश्त दिनांक 01.08.2017 को रूपये 1,20,000/-, पंचम किश्त दिनांक 13.12.2017 को रूपये 1,20,000/- एवं छठवाँ किश्त दिनांक 01.02.2018 को रूपये 1,20,000/-, इस प्रकार कुल राशि रूपये 8,50,000/- आवेदक द्वारा जमा कराया गया है। आबंटिती को भवन क्रय करने के प्रयोजन बैंक से ऋण लेने हेतु जारी एन.ओ.सी. के लिये सर्टिफिकेट दिनांक 25.06.2016 में अंकित है "The allotment of the house even on self financing payment with the Chhattisgarh housing board will however be subject to availability of the house at the time when full payment of the Chhattisgarh housing board are paid as per final allotment letter/offer. The Chhattisgarh housing board further reserves its right to change the priority of allotment, modify of cancel the same and aslo to revise the terms and

conditions therefore according to existing rules of the modified from time to time."

पंजीयन में कमी, आबंटित भवनों के विरुद्ध राशि प्राप्ति में कमी एवं अविक्रित प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण में होने वाले व्यय को मण्डल पूर्ण रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं होने के कारण सेक्टर-16 में 07 प्रकोष्ठ ब्लॉक क्रमांक-75, 76, 77, 78, 79, 80 एवं 81 एवं सेक्टर-34 के प्रकोष्ठ ब्लॉक नं.-01, 02, 03, 05, 11, 17, 18, 19, 20 एवं 21 कुल 1752 भवनों का निर्माण कार्य यथास्थिति में रोका गया है एवं सेक्टर-16 एवं 34 के अन्य ब्लॉक जो कि कटौती के अंतर्गत नहीं है, उन ब्लॉकों के निर्मित भवनों के विरुद्ध पंजीयन में कमी के कारण उन ब्लॉकों के आबंटितियों से सहमति प्राप्त कर सेक्टर-16 के ब्लॉक नं.-31, 32 एवं 33 में आबंटन किया गया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल आबंटिती के निवास गृह निर्माण हेतु सतत प्रयासरत है एवं ऐसे आबंटिती जो किशत की राशि जमा नहीं कर रहे, उन्हें बार-बार निवेदन किया जा रहा है तथा बैंकों से आवास ऋण प्राप्त कराने हेतु मण्डल की ओर से कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। योजना के अनुसार फरवरी, 2019 तक निर्माण कार्य पूर्ण होना था, किन्तु पंजीयन में कमी, आबंटित भवनों के विरुद्ध राशि प्राप्ति में कमी एवं अविक्रित प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण में होने वाले व्यय को मण्डल पूर्ण रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं होने के कारण ठेकेदार के देयक का भुगतान नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। कोरोना काल में पर्याप्त मात्रा में प्रचार-प्रसार न होने के कारण एवं लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के कारण भवन क्रय में रुचि न लेने के कारण निर्माण कार्य अत्यंत धीमा हो गया है तथा वर्तमान में मण्डल की निधि से ठेकेदार को देयक का भुगतान कर निर्माण कार्य में प्रगति लाई जा रही है।

मण्डल मुख्यालय के आदेश दिनांक 27.07.2019 के माध्यम से सेक्टर-16 एवं 34 में कुल 1752 नग भवनों का निर्माण कार्य में यथा स्थिति में रोक कर निर्माण कार्य में कटौती किया गया है।

सेक्टर-16 में निर्मित एल.आई.जी. प्रकोष्ठ ब्लॉक नं.-31, 32 एवं 33 में कुल 384 निर्मित भवन के विरुद्ध कुल 210 भवनों का आधिपत्य मण्डल द्वारा आबंटितियों को सौंपा जा चुका है। अन्य ब्लॉकों जिनका निर्माण कार्य अपूर्ण है, उन आबंटितियों का सहमति उपरांत उपरोक्त निर्मित ब्लॉक 31, 32, 33 एवं 34 में भवन परिवर्तन किया जा रहा है।

आवेदक द्वारा दिनांक 22.01.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा भवन का निर्धारित राशि समय पर पूरी राशि रूपये 8,50,000/- एस.बी.आई. से ऋण लेकर जमा कर दिया गया है, पूरी राशि जमा करने के पश्चात् सब्सिडी राशि प्रदान करने की बात कहीं गई थी। मकान की कीमत रूपये 6,50,000/- था। परन्तु आज दिनांक तक सब्सिडी राशि 2,00,000/- प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 29.01.2019 के माध्यम से "महाप्रबंधक हुडको एवं जनरल मैनेजर, नेशनल हाउसिंग बैंक, दिल्ली की ओर पत्र प्रेषित कर कि आबंटिती द्वारा मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि रूपये 8,34,000/- का आवास ऋण दिनांक 18.10.2016 को एस.बी. आई. द्वारा स्वीकृत किया गया था। आवास ऋण लेने पर केन्द्र सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है, परन्तु ब्याज सब्सिडी की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। आबंटिती द्वारा सब्सिडी अतिशीघ्र खाता में जमा करने का कष्ट करेंगे।

आवेदक द्वारा दिनांक 09.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 01.02.2018 को पूरी राशि रूपये 8,50,000/- एस.बी.आई. से ऋण लेकर जमा कर दिया गया है। परन्तु आज दिनांक तक 06 वर्ष पूर्ण हो चुका है, मकान का आधिपत्य नहीं सौंपा गया है, जिससे बैंक का ऋण पटाने में कठिनाई हो रही है। यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक मकान मिलेगा एवं सब्सिडी की राशि मिलेगी या नहीं। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से श्री दीपक बत्रा एण्ड एसोसिएट्स (सी.ए.) एवं जनरल मैनेजर, नेशनल हाउसिंग बैंक, न्यू दिल्ली की ओर लेख किया गया कि आबंटिती द्वारा मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि रूपये 8,34,000/- का आवास ऋण दिनांक 18.10.2016 को एस.बी.आई. द्वारा स्वीकृत किया गया था। आवास ऋण लेने पर केन्द्र सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। वर्तमान में आबंटिती को आबंटित भवन आठवाँ तक तक पूर्ण है तथा फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। आबंटिती के आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तत्संबंध में मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से श्रीमती पुष्पलता दयाल एवं श्री के.आर. दयाल का ऋण खाता नंबर उपलब्ध करने, जिससे मांगी गई जानकारी अनावेदकगण द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकें, पत्र मण्डल कार्यालय को प्रेषित किया गया।

आवेदक द्वारा दिनांक 27.02.2023 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा निर्धारित समय पर पूरी राशि जमा कर दिया गया है,

परन्तु 07 वर्ष पूर्ण जा रहा है, मकान का आधिपत्य नहीं मिला है। सत्र 2018 में मकान बनाकर देना था, पूर्व में अनेकों बार मौखिक एवं लिखित निवेदन किया गया है। मकान एवं सब्सिडी की राशि नहीं मिलने के कारण आर्थिक मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं ब्याज भी बढ़ रहा है, इस कारण आवेदक मकान नहीं लेना चाहता है। अतः आबंटन किये गये मकान को निरस्त कर मय ब्याज राशि वापस करने का निवेदन किया गया। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से आवेदक को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि भवन आबंटन संबंधी नियम/शर्तों के बिन्दु क्रमांक-07 में उल्लेखित है कि पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने के पश्चात् जमा राशि वापस चाहने पर मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा। राशि वापसी हेतु भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिलासपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जमा चालान की छायाप्रति प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया। ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सकें, जिसके माध्यम से संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्यालय के पत्र दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से उक्त भवन जमा राशि वापसी हेतु रूपये 8,47,000/- का निधि हस्तांतरण कार्यालय को किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से आबंटित भवन को निरस्त कर जमा पंजीयन तथा किश्त राशि वापसी मांग की गई, निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रक्षेत्र कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 11.03.2025 के द्वारा भवन का आबंटन आदेश निरस्त कर मण्डल कार्यालय द्वारा नियमानुसार जमा पंजीयन राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि वापसी आदेश जमा किया गया तथा धनादेश दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से राशि रूपये 8,47,000/- मण्डल द्वारा वापसी किया गया। इस प्रकार आवेदक को नियमानुसार राशि वापस की जा चुकी है, जो आवेदक को प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार से आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन की कंडिका-5 में किये गये कथन गलत होने से अस्वीकार है। इस कंडिका में आवेदक द्वारा जो सहायता चाही गई है, वह पाने का अधिकारी नहीं है। आवेदक किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय न होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अनावेदकगण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाबदावा, दस्तावेज के अवलोकन तथा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय के बिंदु निर्धारित किये जाते हैं:-
1. क्या प्राधिकरण को प्रकरण में विचारण क्षेत्राधिकार है?
  2. क्या आवेदक का आवेदन समय-सीमा के भीतर है?
  3. क्या आवेदक को वांछित अथवा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यदि हाँ तो अनुतोष की मात्रा एवं उसका स्वरूप किस प्रकार होगा।
5. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-01 के विनिश्चयन का आधार :-** प्राधिकरण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। आवेदक श्री के.आर दयाल द्वारा अधिनियम की धारा-31 नियम-35 के अधीन अनावेदक पक्ष के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना नवा रायपुर सेक्टर-16 भू-संपदा प्रोजेक्ट जिसका अनावेदक पक्ष संप्रवर्तक है, में भू-संपदा बी.एल-37/207 उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पलता दयाल के नाम से ऑनलाईन बुक किया गया था। उनके द्वारा रूपये 8,50,000/- लागत राशि जमा की जा चुकी है, किन्तु अभी तक अनावेदक पक्ष द्वारा भू-संपदा का आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है, अतः मय ब्याज भुगतान किया गया प्रतिफल एवं बैंक ऋण के लिये भुगतान किया गया प्रतिफल व शासकीय अनुदान की राशि आवेदक को वापस की जाये। आवेदक शासकीय कर्मचारी एवं शिक्षक है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज में श्रीमती पुष्पलता दयाल का नाम उल्लेख है। भुगतान की गई राशि में श्रीमती पुष्पलता दयाल को पावती दी गई है, तृपक्षीय संविदा में एक पक्ष श्रीमती पुष्पलता दयाल है। आमदनी प्रमाण पत्र भी श्रीमती पुष्पलता दयाल के नाम पर है। छ.ग. गृह निर्माण मण्डल में आवेदन श्रीमती पुष्पलता दयाल द्वारा किया गया है, पावती श्रीमती पुष्पलता दयाल को दी गई है। आबंटन संबंधी नियम एवं शर्तें श्रीमती पुष्पलता दयाल के द्वारा स्वीकार की गई हैं।

चूँकि भू-संपदा के लिये आवेदन श्रीमती पुष्पलता दयाल द्वारा किया गया था, किन्तु प्राधिकरण के समक्ष श्रीमती पुष्पलता दयाल का कोई आवेदन नहीं है, न ही श्रीमती पुष्पलता दयाल का कोई प्राधिकार पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कि उनकी ओर से प्राधिकरण के समक्ष कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाये एवं पक्ष प्रस्तुतीकरण की जाये। चूँकि आबंटित श्रीमती पुष्पलता दयाल का प्रकरण में परिवाद संबंधी कोई आवेदन नहीं है, आबंटन एवं आबंटन के लिये आवेदन श्रीमती पुष्पलता दयाल के नाम पर है। अतः आवेदक को परिवाद प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होने (Locus Standy) के कारण प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्राधिकरण द्वारा

विचारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

6. विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-02 के विनिश्चयन का आधार :- विनिश्चय के बिन्दु-01 अनुसार चूँकि प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया जा रहा है, अतः इस बिन्दु पर विचारण नहीं किया गया है।
7. विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-03 के विनिश्चयन का आधार :- विनिश्चय के बिन्दु-01 अनुसार चूँकि प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया जा रहा है, अतः प्राधिकरण द्वारा अनुतोष पर विनिश्चय किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
8. अस्तु समग्र विचारण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

सही / -  
(धनंजय देवांगन)  
सदस्य

सही / -  
(संजय शुक्ला)  
अध्यक्ष